



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19399 वर्ष 2026

खुशनूद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आनंद जी मिश्रा, कौशल कुमार पांडे

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल कुमार पांडे और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध सं. 105 वर्ष 2026 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(2), 109(1), 190 बी.एन.एस., 2023, थाना- मुंडाली, जिला- मेरठ मामले में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक सहित चौबीस व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फरियाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 19859 वर्ष 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास पूरक हलफनामे के पैराग्राफ सं. 3 और जमानत आवेदन के पैराग्राफ सं. 4 में स्पष्ट किया गया है और वह 07.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी फरियाद को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी फरियाद को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 7 मई 2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

6. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में आरोपी आवेदक **खुशनूद** को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।